

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड-3 उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं० 91/2017 सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2017

4 आश्विन, 1939 (शक)

सा.का.नि. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के साथ पठित धारा 156 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2007 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

2. (i) इन नियमों को सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) संशोधन नियमावली, 2017 कहा जाए।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3. सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2007 में-

(क) नियम 2 में, खण्ड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“ (घक) “ आयात का स्थान” से अभिप्राय उस सीमा शुल्क स्टेशन से है, जहां पर माल को घरेलू खपत के लिए लाया जा रहा हो या किसी गोदाम में रखने के लिए वहां से हटाया जा रहा हो”

(ख) नियम 10 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (1) और इस नियमावली के उद्देश्य के लिए, आयातित माल का मूल्य वही होगा जो ऐसे माल का मूल्य होगा, और इसमें शामिल होंगे-

(क) आयातित माल के आयात के स्थान तक डिलीवरी से संबंधित परिवहन, लदान, खाली करने तथा हैंडलिंग प्रभार की लागत;

(ख) आयात के स्थान तक का बीमा खर्च:

बशर्ते कि जहां खण्ड (क) में संदर्भित खर्च का निर्धारण नहीं हो सकता है, वहां यह लागत ऐसे माल के फ्री ऑन बोर्ड मूल्य का 20 प्रतिशत होगा;

बशर्ते और भी कि जहां कि ऐसे माल का फ्री आन बोर्ड मूल्य का निर्धारण नहीं हो सकता है लेकिन ऐसे माल का फ्री ऑन बोर्ड मूल्य और खण्ड (ख) में संदर्भित खर्च के योग का विनिश्चय हो सकता है, वहां यह लागत खण्ड (क) में संदर्भित खर्च ऐसे योग का 20 प्रतिशत माना जाएगा;

बशर्ते और भी कि जहां खण्ड (ख) में संदर्भित खर्च का विनिश्चय नहीं हो सकता है, वहां यह लागत ऐसे माल के फ्री ऑन बोर्ड मूल्य का 1.125 प्रतिशत माना जाएगा;

बशर्ते और भी कि जहाँ माल के फ्री आन बोर्ड मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है लेकिन उक्त माल का फ्री आन बोर्ड मूल्य और खण्ड (क) में संदर्भित खर्च के योग का निर्धारण किया जा सकता हो तो वहां खण्ड (ख) में संदर्भित लागत ऐसे योग का 1.125 प्रतिशत होगा;

बशर्ते यह भी कि हवाई मार्ग से आयात की जाने वाली वस्तुओं के मामले में, जहां खण्ड (क) में संदर्भित लागत का आंकलन किया जा सकता है, वहां ऐसी लागत वस्तुओं के फ्री ऑन बोर्ड मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

बशर्ते और भी कि यदि माल का आयात समुद्र या वायुमार्ग से हुआ हो और इसे भारत में एक सीमा शुल्क स्टेशन से दूसरे सीमा शुल्क स्टेशन तक ट्रांसशिप्ट किया गया हो तो वहां बीमा, परिवहन, लदान, खाली करने, हैंडलिंग प्रभार से संबंधित खर्च जो कि इस ट्रांसशिप्टमेंट से संबंधित हो, को शामिल नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-

खण्ड (क) में संदर्भित आयातित माल के परिवहन पर आने वाले खर्च में चार्टर्ड जलयानों पर लगे पोत विलंब शुल्क, लाइटरैज या बार्ज प्रभार भी शामिल है।”

(फा० सं० 466/32/2015-सीमाशुल्क-V)

(सत्यजीत मोहन्ती)

निदेशक (आईसीडी)

नोट: प्रधान नियमावली को अधिसूचना सं० 94/2007-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 13 सितंबर, 2007, सा.का.नि 592(अ) दिनांक 13 सितंबर, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

